

अज अदालत उपखण्ड कापिकरी

मुकाम

११

रुगिषेक

बनाम

रावामी

किस्म मुकदमा

गर्भना पत्र शरणा

नं. .... सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम अह हुक में
२७-७-२२	<p>वकील डाक्टर द्वारा गर्भना पत्र पेश किया गया अपूर्ण की कोर से भी o.p च्यास Ad. उप० / क्विपर कर्ता को सुना गया। वकील को कोर से गर्भना पत्र विडो का किये जाने पेश किया गया। वकील का दावा विडो किया गया। बात: गर्भना पत्र का कोई कानून नहीं है। अतः गर्भना पत्र पूर्ण दावा विडो देने से विडो किया जाता है। पत्नवली कमल सुमार दोकल नम्बर से काठ से व काप दारिखल दफ्त है।</p>	